(90)

315

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क0–..........

RB 301—

श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी गोपाल प्रसाद गुप्ता उम्र 52 वर्ष, पेशा गृहकार्य ग्राम अमहा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0

R 5099 ‑ तीन/17

——————आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

1– रामदास नामदेव तनय हृदयलाल नामदेव उम्र 76 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम अमहा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0

2– शासन म0प्र0 द्वारा राजस्व विभाग, जिला सीधी म0प्र0

——————गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री प्रचण्ड प्रताप सिंह द्वारा पेश। 10-3-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय गोपदबनास के राजस्व प्रकरण क0–81 / अ–5 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित हैं :–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय / विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा क0–80 / 3 रकवा 0.007आरे. स्थित ग्राम अमहा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी के नक्शा तरमीम बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, यहाँ यह निवेदन करना आवश्यक है कि भूमि खसरा क0–80 के 04 सहभूमिस्वामी थे, जिसमें मनसुखलाल 80 / 1, सुदामा प्रसाद 80 / 2, रामदास 80 / 3 एवं श्रीमती गरूलवा वानी 80 / 4 के भूमिस्वामी थे, जिसमें से 80 / 4 को आवेदिका / निगरानीकर्ता द्वारा अरूलवा वानी से कय कर 80 / 4 की भूमिस्वामी हुई ।

गैरनिगरानीकर्ता / उत्तरवादी क0–01 के अतिरिक्त उपरोक्त भूमि के सहभूमिस्वामी मनसुखलाल एवं आवेदिका / निगरानीकर्ता अनीता गुप्ता द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय / विचारण न्यायालय के

अनीता गुप्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted]मांक R5099-II/17 जिला सीधी

श्रीमती अनीता गुप्ता/ रामदास नामदेव

(1)	(2)	(3)
05/08/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द मोहन मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 81/अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	